

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :-वि0प्रा0योजना-55/11

/रांची, दिनांक-

प्रेषक,

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

जॉर्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

द्वारा :-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
पोस्ट-हिनु, रांची।

विषय :-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम अन्तर्गत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशालय का सुदृढीकरण हेतु प्रस्तावित विभिन्न मदों में उपबंधित कुल रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-257 दिनांक-21.03.2024 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम अन्तर्गत उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशालय का सुदृढीकरण के लिए संबंधित शीर्ष में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल रू0 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है :-

क्र0	इकाई का नाम	OSP	TSP	Total
1	मजदूरी	9,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300001A6000103)		9,00,000.00
2	संविदा भत्ता	4,20,000.00 (विपत्र कोड-43S220300001A6000108)		4,20,000.00
3	कार्यालय व्यय	5,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300001A6000315)	2,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300796A6000315)	7,00,000.00
4	कार्यालय उपकरण	7,90,000.00 (विपत्र कोड-43S220300001A6000317)		7,90,000.00
5	आपूर्ति एवं सामग्री	11,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300001A6000323)	2,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300796A6000323)	13,00,000.00
6	व्यावसायिक सेवाएँ	50,40,000.00 (विपत्र कोड-43S220300001A6000329)		50,40,000.00
7	पुस्तकालय	50,000.00 (विपत्र कोड-43S220300001A6000332)		50,000.00
8	मोटरवाहन		8,00,000.00 (विपत्र कोड-43S220300796A6000441)	8,00,000.00
कुल		88,00,000.00	12,00,000.00	1,00,00,000.00
कुल 1,00,00,000/- (रू0 एक करोड़) मात्र				

- उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन-उप शीर्ष-A6-निदेशालय का सुदृढीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि रू0 88,00,000/- (रू0 अठासी लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2203-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-A6-निदेशालय का सुदृढीकरण के विभिन्न विस्तृत शीर्षों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपबंधित राशि रू0 12,00,000/- (रू0 बारह लाख) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।
6. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड 1287 है।
7. स्वीकृत्यादेश में निहित राशि का आवंटन आदेश आवश्यकतानुसार निर्गत किया जायेगा। तदोपरान्त ही राशि निकासी एवं व्ययन योग्य होगी।
8. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेंगे।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। साथ ही वित्त विभाग के आदेश पत्रांक-257 दिनांक-21.03.2024 का अक्षरशः पालन अनिवार्य होगा।
12. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रांची से की जायेगी।
13. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
14. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
16. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2741 दिनांक-23/10/03 के आलोक में प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. व्यय विवरणी, टी०भी०नं०, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(जॉर्ज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-वि०प्रा०योजना-55/11

/रांची, दिनांक-

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :-वि०प्रा०योजना-55/11/01/योजना

/रांची, दिनांक-30.04.2024

प्रतिलिपि :- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय/बजट पदाधिकारी/लेखा शाखा/नोडल पदाधिकारी को Upload करने हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव